2017/00 270

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर

प्रकरण संख्या 49/2019 (राजस्व अपील )

1. श्रीमती बिरदी देवी पत्नी नारायण लाल पुत्री स्व॰ श्री भूरा जाति माली निवासी नाथू का की ढाणी, तलाई वाली रोड, ग्राम जयसिपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. नेनूराम
2. तुलसीराम — पिसरान काना
3. बाबूलाल
4. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी स्व॰ काना

समस्त जाति माली निवासी अमराका की ढाणी, ग्राम जयसिपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार जयपुर नामान्तरकरण संख्या 909 दिनांक 27.09.2002 ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर ।

उपस्थितः–

1. श्री कालूराम मीणा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से ।
2. प्रत्यर्थीगण उपस्थित नही है।

निर्णय दिनांक 31.10.2019

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के पिता स्व॰ भूरा के दो पुत्र एवं दो पुत्रिया थी। पुत्रों के नाम कमशः काना व कल्याण है तथा दोनों पुत्रियों के नाम कमशः बिरदी देवी व ग्यारसी देवी है। उक्त तथ्य तहसीलदार व हल्का पटवारी की जानकारी में होने के बावजूद अपीलाधीन नामान्तरकरण से अपीलार्थी के पिता भूरा व अपीलार्थी के भाई कल्याण के फोत हो जाने पर पर अकेले काना के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो गलत है। उक्त भूमि अपीलार्थी की पैत्रृक कृषि भूमि है। जिसमें अपीलार्थी का अपने पिता के हिस्से की भूमि में से 1/4 हिस्सा है। अपीलार्थी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा है, परन्तु तहसीलदार ने बिना कब्जे की जांच किये व बिना अपीलार्थी को नोटिस दिये उक्त नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जिससे जानकारी नही हो सकीं। दिनांक 10.10.2017 को अपीलार्थी को इस बारे मे ज्ञात हुआ। दिनांक 12.10.2017 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया ।15.12.217 को नकल लेने के प्श्चात दिनांक 17.10.2017 से 22.10.2017 तक दीवावली का अवकाश आ गया । तत्पश्चात अपीलार्थी अपने वकील से राय प्राप्त कर पैसों की व्यवस्था कर दिनांक 8.11.2017 को अपील तैयार कर दिनांक 09.11.019 को पेश की गई। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस विपक्षीगण के जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 सं 4 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये अपीलार्थी ने नोटिस रजिस्टर्ड कराने की पुष्टि में रसीदें पेश की । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अण्डर

टेंकिंग पेश की । इसके पश्चात अप्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । तहत रिकार्ड तलब किया गया ।

3. बहस एक पक्षीय अपीलार्थी की सुनी गई ।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील पेश की कि विवादित भूमि अपीलार्थी की पैत्रृक भूमि है। जिसमें अपीलार्थी का अपने पिता के हिस्से की भूमि में से 1/4 हिस्सा है। अपीलार्थी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा है, परन्तु तहसीलदार ने बिना कब्जे की जांच किये व बिना अपीलार्थी को नोटिस दिये उक्त नामान्तरकरण काना के वारीसान के नाम तस्दीक कर दिया। जबकि अपीलार्थी के पिता स्व॰ भूरा के दो पुत्र एवं दो पुत्रिया कमशः काना व कल्याण पुत्र भूरा एवं बिरदी देवी व ग्यारसी देवी पुत्री भूरा है। दिनांक 10.10.2017 को अपीलार्थी को इस बारे मे ज्ञात हुआ। दिनांक 12.10.2017 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया ।15.12.217 को नकल लेने के पश्चात दिनांक 17.10.2017 से 22.10.2017 तक दीवावली का अवकाश आ गया । तत्पश्चात अपीलार्थी अपने वकील से राय प्राप्त कर पैसों की व्यवस्था कर दिनांक 8.11.2017 को अपील तैयार कर दिनांक 09.11.019 को पेश की गई। अतः विलम्ब अविध को कन्डोन किया जाकर अपील स्वीकार फरमावें।
5. अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
6. सर्वप्रथम हम अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है किन्तु अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए दिये गये तर्को से हम सहमत है। इसलिए न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है । अपील का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।
7. अपीलाधीन नामान्तरकण पर जो सजरा बनाया गया है, उसमें स्व॰ भूरा माली के वारीसान के रूप में दो पुत्र काना व कल्याण को ही बताया गया है जबकि स्व॰ भूरा के इन दो पुत्रो के अलावा दो पुत्रियां कमशः बिरदी देवी व ग्यारसी देवी होने का तथ्य सामने आया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्र पुत्रियां समान रूप से प्रथम श्रेणी वारीसान की सूची में आती है। बिना युक्तियुक्त कारण के पुत्रियों को अपने पिता की सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। मामले में पुनः जांच कर तदनुसार कार्यवाही किये जाने के लिए अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जातीं है ।
8. तहसीलदार जयपुर द्वारा राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा खौर तइसील जयपुर के नामान्तकरण संख्या 209 पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2002 को अपास्त किया जाता है।
9. प्रकरण तहसीलदार जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुन कर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तदनुसार नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।
10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा तहसीलदार जयपुर को मय तहत रिकार्ड प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
11. निणर्य आज दिनांक 31.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जयरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर